www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 16.02.2017

घूसखोरी के अलग अलग मामलों में तत्कालीन उप मण्डलीय निरीक्षक (डाक) ; रेलवे के तत्कालीन अनुभाग अभियन्ता ; एम.ई.एस. के तत्कालीन अभियन्ता एवं ई.एस.आई.सी. के तत्कालीन सामाजिक सुरक्षा अधिकारी 02 से 05 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़) ने घूसखोरी मामले में अम्बिकापुर उप-मण्डल, जिला अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) के तत्कालीन उप मण्डलीय निरीक्षक (डाक) श्री खीलेश कुमार पटेल को एक लाख रू. जुर्माने सहित 05 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने दिनांक 25.12.2012 को अम्बिकापुर उप-मण्डल, जिला अम्बिकापुर के उप मण्डलीय निरीक्षक (डाक) श्री खीलेश कुमार पटेल के विरूद्ध मामला दर्ज किया जिसमें शिकायतकर्ता से उसे ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल के तौर पर शीघ्र नियुक्ति देने के मामले में कार्यवाही करने हेतु 10,000 की घूस मॉगने का आरोप है। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000 रू. की घूस स्वीकार करने के दौरान गिरफ्तार किया। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, रायपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 7 व 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दिनांक 01.04.2013 को आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया।

दूसरे मामले में,सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, रायपुर ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एस.ई.सी.आर.), रायपुर (छत्तीसगढ़) के तत्कालीन अनुभाग अभियन्ता (पाथ वे) श्री गौतम चौधरी को 20,000 रू. जुर्माने सहित 02 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एस.ई.सी.आर.), रायपुर (छत्तीसगढ़) के तत्कालीन अनुभाग अभियन्ता (पाथ वे) श्री गौतम चौधरी के विरूद्ध मामला दिनांक 09.02.2010 को दर्ज किया जिसमें आरोप है कि उन्होने शिकायतकर्ता से उसके वाहन जिस पर लदे बायलर की उँचाई रेलवे क्रासिंग बैरियर से ज्यादा थी, को रेलवे क्रासिंग से गुजारने के लिए 4,000 रू. की घूस मॉगी। आरोपी को घूस की मॉग को स्वीकार करने के दौरान सीबीआई के द्वारा पकड़ा गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 7 व 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश रायपुर की अदालत में दिनांक 30.04.2010 को आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया।

तीसरे मामले में, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, राँची (झारखण्ड) ने सैन्य अभियन्ता सेवा, राँची के तत्कालीन कामाण्डर कार्य अभियन्ता श्री सुशील कुमार परवानी को 15,000 रू. जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने, निविदा को स्वीकार करने हेतु शिकायतकर्ता से 1,25,000 रू. की घूस की माँग के आरोप पर दिनांक 26.07.2008 को मामला दर्ज किया। आरोपी को शिकायतकर्ता से 50,000 की घूस स्वीकार करने के दौरान गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 7 व 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दिनांक 28.02.2009 को आरोप पत्र दायर हुआ।

चौथे मामले में, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, त्रिवेन्द्रम (केरल) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, निरीक्षण कार्यालय, कोट्टाराकारा जिला कोलम (केरल) के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री सूरज कुमार केसरी को दो लाख रू. जुर्माने सहित 04 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उक्त मामला, शिकायतकर्ता के फर्म के औचित्यपूर्ण रिकार्डो में हेरफेर के द्वारा ई.एस.आई.सी. के योगदान के कारण जुर्माने को माफ करने हेतु शिकायतकर्ता से 20,000 रू. की घूस माँगने पर ई.एस.आई.सी. के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री सूरज कुमार केसरी के विरूद्ध शिकायत के आधार पर दिनांक 23.06.2013 दर्ज हुआ। मामला दर्ज करने के परिणामस्वरूप, सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000 रू. की घूस स्वीकार करने के दौरान दिनांक 24.06.2013 को रंगे हाथ पकड़ा।

विचारण अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया व उन्हे दोषी ठहराया।

****